प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

“Refresher Course for Police Inspectors”

दिनांक **04-02-2019** से **08**-02-2019

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 04-02-2019 से 08-02-2019 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 29 पुलिस निरीक्षकगण ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:15-10:30 AM तक परिचय और पंजीकरण, प्रथम सत्र में श्री श्रीचंद, एडीपी, आरपीए ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018, एससी / एसटी अधिनियम में संशोधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में एवं तृतीय दिवस के अन्तिम सत्र में श्री के. सी. जाट, डीआईजी, आरपीए ने रिपोर्ट लेखन, संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग, पावरपॉइंट प्रस्तुति एवं तनाव प्रबंधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्री ओम प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त) ने संगठित अपराधों की रोकथाम और अन्य कानूनी प्रावधानों (एनएसए, राज पासा, गुंडा अधिनियम आदि) पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री एम. एम. अत्रे, महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत) ने शरीर और संपत्ति के अपराधों के अन्वेषण पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में कु. ऋचा सोनी, एडवोकेट ने घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में आउटडोर संकाय, आरपीए द्वारा पंप एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून और व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट के उपयोग के संबंध में विस्तृत रूप से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री आर. एस. शर्मा, निदेशक (सेवानिवृत) एफएसएल जयपुर ने अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, घटनास्थल से सबूत एकत्र करना एवं पैक करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में डॉ. राजेश कुमार, ए.डी. (सीरोलॉजी एंड डीएनए) ने अन्वेषण में डीएनए की भूमिका और प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर. एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों के अन्वेषण पर अपना व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनिवार्य प्रावधानों और अन्वेषण में क्या करें और क्या न करें पर विस्तृत रूप से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम दिन के प्रथम सत्र में श्री गजेन्द्र सिंह, एस.आई. साइबर थाना ने साइबर अपराधों कें अन्वेषण एवं प्रथम प्रत्युत्तर की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री महेश कुमार, एस.आई. आरपीए ने गिरफ्तारी के प्रावधानों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 08.02.2019 को 04.00 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। श्रीमती सुमन चौधरी, अति.पु.अ. (कोर्स निदेशक) द्वारा पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। श्री हेमंत प्रियदर्शी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, आरपीए के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा।